रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2005/अग्रहायण 10, 1927
No. 154] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2005/AGRAHAYANA 10, 1927

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2005

फा. संख्या 49-5/2005/राअशिप/(मा. और मानक).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा निर्धारित मौजूदा विनियम के अनुरूप किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के इच्छुक संस्थान को अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित प्रपत्र से अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होता है। तथापि आवेदन पत्रों को 'आनलाइन' जमा किए जाने की जरूरत महसूस की गई क्योंकि ऐसा करने से प्रणाली पारदर्शी तथा प्रयोक्ता-अनुकूल बन जाएगी।

अत:, अब, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, अधिनियम, 1993 के खण्ड 14 और खण्ड 15 के साथ पठित राअशिप अधिनियम, 1993 के खण्ड 32 के उप-खण्ड (च) तथा (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, निम्न विनियम बनाती है यथा :

1. लघुशीर्ष और प्रवर्तन

(i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) (छठा संशोधन) विनियम, 2005 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. संशोधन की सीमा

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 में विनियम 3 (iii) के बाद निम्न जोड़ा जाएगा :

(ii) "आवेदन-पत्र आनलाइन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उस स्थिति में प्रार्थी को सम्बन्धित क्षेत्रीय समिति को आवश्यक दस्तावेजों सहित अलग से प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन-पत्र के मूल्य के लिए अलग से 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा।"

वी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/IV/131/2005/असा.]